IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका'

Dr. K.S. Netam[1] and Vinod Kumar Verma[2]
Professor and Head, Department of Geography[1]
Research Scholar, Department of Geography[2]
Sanjay Gandhi Smriti Government (Autonomous) P.G. College, Sidhi, M.P. India

प्रस्तावना:

भारत देश में आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति आजादी के 75 साल पूर्ण हो जाने के दौरान भी आज के वर्तमान समय में बहुत दयनीय स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधता वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारतीय आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिये हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थिति को रुपान्तरित करने और सामाजिक आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिये कल्याणकारी मान्यताएँ दी है फिर भी उनकी विकास की स्थिति चिंतनीय है। समय के साथ–साथ प्रत्येक समाज में परिवर्तन हुये लेकिन आदिवासी समाज के महिलाओं में दिन–प्रतिदिन गिरावट हो रही है। उनमें गरीबी, अंधविश्वास, अशिक्षा, यौन उत्पीडन, ऋणी, पारिवारिक, सामाजिक बुराई, वेश्यापन की स्थिति आज भी मौजूद है। इसका मुख्य बिन्दु अन्धविश्वास, टोटेम, निर्धनता है। किसी भी समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका मुख्य होती है। महिलायें इस संसार की रक्षक होती हैं। आदिवासी समाज की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता और न ही इस समाज में दहेज प्रथा प्रचलन है। इस समाज में डादून प्रथा प्रचलित है बल्कि सवर्ण समाज में नहीं है। स्त्री को चरित्रहीन वही व्यक्ति घोषित करता है वह एक पुरुष होता है जो वैद्य होता है। यह एक घोर विडम्बना है। इस समाज में डायन प्रथा का उद्भव 'टोटेम' जादू टोना में होता है। आदिवासी समाज में पुरुष और स्त्री की असमानता का असली सच्चाई यही है। आदिवासी महिलायें प्रकृति पूजक होती हैं। पुरुष व्यक्ति खेत में हल चलाता है जिसमें महिलायें भाग नहीं ले सकती हैं बल्कि घर के सभी कार्यों में आदिवासी महिलायें महत्वपूर्ण भामिका निभाती हैं। अधिकतर आदिवासी महिलायें ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें उनके विकास के लिये योजनायें चला रही है लेकिन अभी भी यह समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्त्रियाँ निर्णय के अधिकार में वंचित नहीं रही हैं। पारिवारिक स्तर पर देखें तो परिवार से संबंधित सम्पत्ति क्रय करने, बच्चों की शिक्षा, मकान की मरम्मत अथवा जमीन खरीदने या बेचने संबंधी निर्णयों में स्त्री अपनी राय व्यक्त करने लगी है। जनजातीय महिलाओं में तार्किकता इस रुप में दिखाई देने लगी है कि वे स्वयं नगर के बाजार से विभिन्न वस्तुओं में से दाम और गुणवत्ता परखकर आवश्यक वस्तु क्रय करने लगी है।

जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं जैसे– आंगनबाड़ी, ग्रामीण बैंक, सरकारी समिति, स्कूल, किसान सेवा केन्द्र, पंचायत की उपलब्धता और इनमें कार्यरत कर्मचारियों से अंतः क्रिया ने जनजातीय पुरुषों को प्रभावित किया और इन संस्थाओं के प्रभाव से महिलायें भी अछूती नहीं रही हैं। ग्रामीण प्रभाव के विभिन्न पहलू हैं जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तालाब, रोड निर्माण, आशा कार्यकर्ता, महिला बाल विकास में आदिवासी समुदाय के महिलायें जो 8 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई की हैं वह काम में लगी हुई हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का जागरुकता भारत के लगभग सभी भागों में पहुँच गई है जहाँ उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। आदिवासी खान–पान, रहन–सहन पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। बैंक के बारे में जानकारी होना, राशन कार्ड से राशन प्राप्त करना ये सभी जानकारी आदिवासी महिलाओं जागृत होने लगा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन है। जो देश की 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। 1951 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 5.6% आदिवासी थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104281034 है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जनजातियों के कुल 9,38,19162 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में 10461872 लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का 11.3% और शहरी क्षेत्रों का 2.8% है। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं। 2001 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दी कम 21. 3% थी जबकि शकरी क्षेत्रों में यह अधिक 49.7% थी। आदिवासी व्यक्तिओं में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

संदर्भ सूची

[1]. राम आहूजाः भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2002
[2]. उदय सिंह राजपूतः आदिवासी विकास गैरसरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 1
[3]. प्रो. गुप्ता, शर्माः सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृ. 190, 192
[4]. भारत की जनगणना वर्ष 2011
[5]. मिढ़ ताला रानी (2009) Problems of Tribal Education in India, नई दिल्लीः कनिष्ठ प्रकाशन
[6]. "wikipidea:- India- Veilling and the seclusion of women" 2021-08-02